

ऑटो रिप्लेसिंग विभाग, कोटा (जयपुर)
ऑटो रिप्लेसिंग विभाग, कोटा

(Handwritten signature)

दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।
निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016

दफतर हो।
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दाखिल
जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल सुमार
है। अतः प्रेषकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की
आशिम कार्यवाही की जाने का कोई आशित्य प्रतीत नहीं होता।
मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की
आवंटन की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी
3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटेशन में
अगलान्त आदेश दिनांक 03/8/1979 माननीय उच्च
विवादित मामि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया
किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रेषकार सरकार ने उक्त
मू-आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर
प्रधानमन्त्र आवंटित की गयी विवादित मामि का आवंटी
रेस्पॉन्डेंट्स को मू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा केष
अगलान्त किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
इसने प्रेषकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छया प्रति आदि रिकॉर्ड दरखास्तगत पेश किये।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की
का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में
सम्बन्धित मू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण
निर्णय के परिपेक्ष में इस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से
राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित
पिटेशन नम्बर 3374/2005 व उन्वानी छौट एवं अन्य बानम
उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट
प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय
(नायब तहसीलदार कोटपुलली) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत
होकर तहसीलदार कोटपुलली की ओर से प्रेषकार सरकार
पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

16
श्री या

| | |
|----------------------|-------------|
| आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------------------|-------------|

02/2005

तारीख 09/11/2016

बनाम

फर्द अहकाम